न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 गौरव सैनी

प्रा0पत्र संख्या— 06/23 तारीख रज्जू—12/09/23

1 श्रीमति नर्वदा पत्नि श्री रतनलाल जाति मीना निवासी ग्राम रामगढ गुराडा तहसील गंगापुर सिटी।
2 राजेश पुत्र बजरंगा जाति खटीक निवासी ग्राम खेडाबाढरामगढ़ तहसील गंगापुर सिटी।

——प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर (राजस्थान सरकार) जरिये तहसीलदार बामनवास।
2. धनश्याम पुत्र गुढढल जाति कुम्हार जाति ग्राम जीवद तहसील बामनवास।

— अप्रार्थी

उपस्थितः—

अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय
अधिवक्ता अप्रार्थी :— श्री बृजनन्दन दिक्षित

निर्णय दिनांक— 27.08.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू— राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 2 धनश्याम पुत्र गुढढल निवासी जीवद को दिनांक 10.06.1992 को ग्राम जीवद में स्थित आराजी खं0नं0 2861 में से 88 ऐयर भूमि के किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के आवेदन पत्र पर आराजी खं0नं0 2861 में से 0.25है0 व खं0नं0 2862 में से 0.25है0 कुल 0.50 है0 भूमि आवंटन की सिफारिश की गयी थी। परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर विधि विरूद्ध रूप से आराजी खसरा नम्बर 2861 में से 88 ऐयर भूमि ग्राम जीवद में से आवंटित की जाने की सिफारिश की है एवं भू आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना विधि विरूद्ध रूप से आवंटन आदेश कमांक 1733 दिनांक 10.06.1992 पारित करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। आवंटित भूमि आवंटन के समय खली नहीं थी, एवं उक्त भूमि आराजी खं0नं0 1546 व 1576 के साबिक नम्बर के साथ जुडी हुई थी एवं उस पर खसरा नम्बर 1646 व 1676 के खातेदारो के कब्जा था।आवंटन से पूर्व बिना भूमि को खाली कराये आवंटन आदेश जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आवंटन आदेश की शर्त 7 (3) में आवंटन वर्ष में कम से 50 प्रतिशत भूमि पर एवं इस क्षेत्र में दूसरे वर्ष में खेती करेगा। यदि आवंटन शर्तो के अनुसार खेती नहीं की गयी है एवं भूमि का उचित उपयोग नहीं किया गया है तो आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का प्रावधान रखा गया है जबकि अप्रार्थी सं0 2 का आज तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है न ही अप्रार्थी सं0 2 द्वारा कभी काश्त की गई है। ऐसी स्थिती में उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खं0नं0 2861 पर आवंटन आदेश से पूर्व से ही बाबू सोनी व तत्पश्चात् प्रार्थी का कब्जा रहा है एवं आज तक उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है इसी प्रकार आराजी खं0नं0 2861 पर

27/8/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रार्थी सं0 2 राजेश का आवंटन से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि आवंटी उक्त आवंटन से पूर्व भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं था तथा आवंटन अधिकारी ने उक्त आवंटन से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 की पूर्ण पालना नहीं की है। उक्त नियम की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी भूमि आवंटन, सलाहकार समिति के सदस्यों की बैठक की तारीख, समय व स्थान की सूचना कम से कम एक सप्ताह के नोटिस द्वारा देगा। लेकिन उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बैठक की सूचना के संबंध में कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया है,साथ ही वकील प्रार्थी ने आरआरटी 2005 (1) राजस्थान सरकार बनाम बहादरचंद व डीएनजे 2022 (1) कानाराम बनाम राजस्थान सरकार एवं डीएनजे (रेव)2020 जीतू सिंह वगै0 बनाम चैनाराम वगै0 नजीरे पेश कर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1992 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी सं0 2 को नियमानुसार दिनांक 10.6.1992 को आवंटन किया गया है तथा उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश किये जाने पर ही उक्त आवंटन आदेश पारित किया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा लगातार काश्त किया जा रहा है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड में भी हो रहा है। प्रार्थीगण का उक्त वाद आरजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी सं0 2 की कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के यहां रहन रखा हुआ है तथा बैंक द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण प्रदान किया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने आरबीजे 1995 (2) रेव डी0नी0 सिविल रिट पिटीशन नं0 948/1986 पतराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 31.05.1995 प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार मा0 उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1957 और 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, आदेश पारित किया हुआ है, पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1992 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में उक्त वाद आरजीयात की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 , मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 व 31.05.2022 के अनुसार उक्त वाद आराजीयात पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना अवगत कराया है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं था। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 2 उपनियम (iii-ख) और नियम 12 का एक साथ अवलोकन किया गया। नियम 12 के अनुसार आवंटी के पास 4 है0 से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए । उक्त क्रम में प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि आवंटी के पास आवंटन के समय 4 है0 अथवा 4 है0 से अधिक भूमि हो। अप्रार्थी पक्ष ने अपने हक में खसरा गिरदवरी सम्वत् 2057–60 , 2061–64, 2069–72 , 2073–76 प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थी सं0 2 ने सम्वत् 2057–60 में सरसों की फसल व सम्वत् 2061–64 में सरसों व बाजरा की फसल, सम्वत् 2069–72 में सरसों व चना की फसल व सम्वत् 2073–76 में तिल, सरसों व बाजरा की फसल काश्त होना प्रतीत होता है तथा पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी के अनुसार उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थी सं0 2 के खातेदारी दर्ज है तथा पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी के नीमे रहन दर्ज है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा पंजाब नेशनल बैंक जो एक आवश्यक

27/8/22
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

पक्षकार है को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर के अनुसार डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन नं0 948/1986 पतराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.08.1995 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1957 और 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिगत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जीवद के खं0नं0 2861 रकबा 88 ऐयर का अप्रार्थी सं0 2 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1992 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/8/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)